the roads of this colony resulting in inconvenience to the residents;

(c) if so, the action Government have taken on these issues and the result thereof; and

(d) if no action has been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) and (b) D.D.A has reported that (i) 1210 cases of unauthorised constructions/encroachments have been detected in Sarita Vihar and (ii) it is not correct that almost all the roads in this colony have been encroached.

(c) and (d) Notices under the relevant provisions of the Delhi Development Act have been issued to the allottees/occupants who have carried out unauthorised constructions/encroachments. To remove the unauthorised constructions, demolition programmes are carried out from time to time by the D.D.A. During the last two years, 22 demolition programmes were carried out and in 37 cases unauthorised constructions/encroachments were removed.

Doubling of Rail Lines in Orissa

1085. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the name and the number of projects pertaining to doubling of lines pending in Orissa;

(b) the original estimated cost of each of those projects;

(c) the date since when those projects have been pending; and

(d) the steps taken to give early clearance to those projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) There is no sanctioned work pending pertaining to doubling of lines in Orissa.

(b) to (d) Do not arise.

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाएं

1086. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिये जिला-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए स्वीकृत की गई धनराशि का सही उपयोग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, और (4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए जिलावार आबंटन विवरण—I, II, III में दर्शाये गये हैं। **(नीचे देखिए)** जहां तक त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राज्यों को सीधे ही रिलीज की जाती है और जिलावार आबंटन अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य को रिलीज की गई राशि का सही इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को रिलीज की गई वित्तीय सहायता का विवरण IV, V, VI और VII में दर्शाया गया है।